फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

र्थी : श्री नरेन्द्र जोशी   बनाम   विपक्षी : श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार भीण्डर

कस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम   पत्रावली संख्या : 49/23

माक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 24.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेशकार उपस्थित। प्रकरण में पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त। रिपोर्ट शामिल फाईल रहे। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेशकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब मान जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजी संख्या 843, 844 रकबा 0.6500 है. भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं। उक्त आराजी न. के साबिक आराजी न. 1933/2 रकबा 3 बीघा के नवीन सेटलमेंट के बाद नये आराजी न. 843, 844 के पूर्व दिशा में 1933/1क अवस्थित थी जिसके नवीन आराजी न. 842 है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नवीन आराजी न. 843, 844 के पूर्व दिशा राज्य सरकार की आराजी न. 6327/842 अंकित कर दी जबकि साबिक जमाबंदी एवं नक्शे में वर्णित भूमि एवं वर्तमान जमाबंदी व नक्शे का मिलान साबिक जमाबंदी व नक्शे से नहीं होती है जिससे साबिक रेकर्ड अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में स्पष्ट रिपोर्ट चाहे जाने से पटवार हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया कि राजस्व ग्राम खेरोदा की जमाबंदी सं. 2050–53 की खाता सं. 613 पर खसरा नं. 1933/2 रकबा 3 बीघा भूमि श्रीमती कमला बाई बेवा डालचन्द जाति जाट सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी एवं गत राजस्व नक्शे में दर्ज खसरे नं. अनुसार मौके पर काबिज है। भू–प्रबन्धन एवं सेग्रीगेशन के पश्चात गत आराजी नं. 1933/2 रकबा 3 बीघा के नवीन हाल आराजी नं. 843/0.2800, 844/0.3700 कुल किता 2 रकबा 0.6500 है. दर्ज हुआ है। यह कि आराजी नं. 1933/2 रकबा 3 बीघा भूमि की जगह वर्तमान राजस्व नक्शे में 843, 844 के पास में आराजी नं. 6327/843 रकबा 0.10 है. जो के पुराने आराजी नं. 1933 से बना है तथा बिलानाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी न. 1933/2 रकबा 3 बीघा पुराने राजस्व नक्शे में आराजी नं. 1933/1क रकबा 15 बिस्वा से लगा हुआ होकर था जबकि नवीन राजस्व नक्शे में नये आराजी नं. 843 पुराने आराजी नं. 1933/1क में बना हुआ है इसके पास आ.न. 6327/843 रकबा 0.10 है. बिलानाम दर्ज रिकार्ड है जिस पर प्रार्थी काबिज है मौके पर प्रार्थी का 6327/843 एवं 843/0.2800 एवं 844/0.3700 है. में 0.2700 है. पर कब्जा है एवं इसका शेष भाग 0.100 है. पडत पडा हुआ है जो कि पूर्व नक्शे अनुसार मौके पर काबिज हैं। यह कि गत आराजी न. 1933/2 के नये आराजी न. 843/0.2800, 844/0.3700 है. कुल किता 2 रकबा 0.6500 है. भूमि हाल विक्रय पत्र के जरिए नामान्तरण सं. 144 दिनांक 22.08.2022 को खातेदार कमलाबाई बेवा डालचन्द जाट के बजाय नरेन्द्र नितिन जोशी पिता ओंकारलाल जोशी हिस्सा पूर्ण के नाम दर्ज रिकार्ड हुई जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के खाता सं. 157 पर क्रेता के नाम दर्ज है। यह कि गत राजस्व नक्शे अनुसार आराजी न. 1933/2 के [illegible] प्रार्थी मौके पर काबिज है। मौके अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे से आराजी न. [illegible]43 रकबा 0.100 है. बिलानाम राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है जिस [illegible] में [illegible] काबिज है। पटवार हल्का द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौके पर काबिज [illegible] न. 632[illegible]3 रकबा 0.1000 है. 843 रकबा 0.2800 और आराजी न. 844 [illegible] 0.3700 है. में स[illegible]00 है. कुल किता 3 रकबा 0.6500 है. प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित है जबकि 844 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.01.22 12:33:09 IST
Reason: SelfAttested

3700 है. भूमि में से 0.1000 है. भूमि बिलानाम राजस्थान सरकार के नाम दर्ज कि
प्रस्तावित किया साथ ही पटवारी हल्का द्वारा यह भी स्पष्ट किया कि आ
6327/843 रकबा 0.100 है. मिलान खसरा न अनुसार एवं नवीन सेटलमेंट नक्
दर्ज है जबकि वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में यह आराजी 6327/842 दर्ज हो रखा
गलत है जिसको मिलान खसरा एवं नक्शा शीट अनुसार 6327/843 दर्ज कि
प्रस्तावित किया।

प्रकरण में हमने पाया कि पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कि
साबिक आराजी न. 1933/2 आराजी न. 1933/1क से लगा हुआ होकर था
साबिक नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है। नवीन राजस्व नक्शे में साबिक आराजी न. 1933
नवीन आराजी न. 842 हैं। नवीन राजस्व नक्शे में आराजी न. 843, 844 के पूर्व
आराजी न. 6327/843 दर्शा दिया गया हैं जबकि साबिक नक्शा ट्रेस में साबिक
नम्बर 1933/2 के पूर्व दिशा में साबिक आराजी नम्बर 1933/1क स्थित ह
आराजी न. 1933/1क के नवीन आराजी नम्बर 842 बने है। पटवारी हल्का द्वा
रिपोर्ट में आ. न. 6327/843 पर प्रार्थी काबिज होना बताया। पटवारी हल्का द्वार
नक्शा ट्रेस अनुसार ही प्रार्थी मौके पर काबिज होना बताया। पटवारी हल्का द्वारा
नक्शा पेश कर मौके अनुसार आराजी नं. 6327/843 रकबा 0.1000 है. 843 रकब
और आराजी नं. 844 रकबा 0.3700 है. में से 0.2700 है. कुल किता 3 रकबा 0
प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया तथा आराजी न. 844 रकबा 0.3700
में से 0.1000 है. भूमि बिलानाम राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाना प्रस्तावि
साथ ही ऑनलाईन नक्शा में त्रुटि होने से आराजी न. 6327/842 के स्थान पर अ
6327/843 दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया।

अतः उपरोक्त विवेचन, पटवारी हल्का की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्त
आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधि
स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर की
नं. 6327/843 रकबा 0.1000 है. भूमि बिलानाम राज्य सरकार के बजाय प्रार्थी
जोशी पिता ऑकारलाल जोशी जाति ब्राह्मण व श्री नितिन जोशी पिता ऑकारला
जाति ब्राह्मण के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथ
न. 844 रकबा 0.3700 है. भूमि में से 0.1000 है. भूमि प्रार्थीगण के बजाय बिलानाम
सरकार के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये
आदेश दिये जाते है साथ ही ऑनलाईन नक्शा में त्रुटि होने से आराजी न. 6327/
स्थान पर आराजी न. 6327/843 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष
रहें। आराजी न. 843 रकबा 0.2800 है. भूमि व आराजी न. 844 रकबा 0.3700 है. भू
0.2700 है. भूमि प्रार्थीगण के नाम ... हैं। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर क
जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर ... कम हो।

निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.01.22 12:33:09 IST
Reason: SelfAttested